न्यायालय, पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय,

प्रभारी अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर,भोजपुर

हकियत वाद सं. 18/2021

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
27-07 -2022	उभय पक्ष की हाजिरी है। अभिलेख आज वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 11.06.2021 तथा प्रत्युत्तर दिनांक 03.02.2022 पर आदेश हेतु नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व मे ही सुना जा चुका है । वादी उक्त आवेदन दाखिल कर कथन किया है कि विवादित भूमि का विस्तृत विवरण इस आवेदन के अंत में अनुसूची 1 में दिया गया है एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध निबंधित सम्मन जारी हो चुका है फिर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं। वादी का आगे कथन है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण का एक संयुक्त परिवार था जिसमें संयुक्त व्यवसाय किया जा रहा था एवं उस व्यवसाय से विवादित भूमि मौजा सहजौली खाता नंबर 135 खेसरा नंबर 140 रकवा 1.63 डिसमिल भूमि क्रय किया गया था। विवादित भूमि संयुक्त आमदनी से क्रय किया गया था इसके बाद वर्ष 1978 में सभी भाइयों का बटवारा हो गया जिसमें वादी गण को उक्त भूमि में 1/2 भाग हिस्सा प्राप्त हुआ एवं उसी हिस्सा के मुताबिक वादीगण खेती बारी वगैरह किया करते आ रहे हैं। वादी का आगे कथन है कि विवादित भूमि को प्रतिवादी गण के सदस्य प्राकृतिक विशेषता को बदलने में लगे हुए हैं तथा खेती बारी करने पर लगे हुए हैं। इसी क्रम में दिनांक 07.09.2021 को तकरारी भूमि पर प्रतिवादीगण खेती का कार्य करने पर उतारू हो गए जिससे विवादित जमीन पर गंभीर तनाव है । वादीगण का आगे कथन है कि अंतरिम व्यादेश के आदेश द्वारा प्रतिवादी गणों को विवादित भूमि के प्राकृतिक विशेषता को बदलने से नही रोका जाता है तो वादीगण को अपूरणनिय क्षति पहुंचेगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है और अंततः प्रार्थना किया गया है कि अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा प्रतिवादीगण को विवादित भूमि के प्राकृतिक विशेषता को बदलने तथा खेती कार्य पर रोक लगाया जाए। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आवेदन का विरोध अपने कारणपृच्छा सह प्रतिउत्तर दिनांक 03/02/2022 के द्वारा करते हुए कथन किया गया है कि वादी का उक्त आवेदन पोषणीय नहीं है तथा वादी अपना आवेदन	

लगातार... 27.07 .2022	गलत बयान के साथ दाखिल किया है । प्रतिवादीगण का आगे कथन है कि प्रस्तुत वाद की विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 4 तथा 5 के पूर्वज दुलारचंद शाह एवं अमीरचंद शाह की स्व अर्जित भूमि है जिसे वे पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 05/07/1973 के द्वारा क्रय करके दखल कब्जा में आए तथा अमीर चंद साह जब तक जिंदा रहे विवादित जमीन उनके दखल कब्जे में थी तथा उनके मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 के दखल कब्जे में आई और आज भी चली आ रही है तथा इसी स्व अर्जित भूमि को बटवारा कराने के लिए वादी ने प्रस्तुत मुकदमा दाखिल किया है। प्रतिवादीगण का आगे कथन है कि वादी को कोई भी हक हिस्सा विवादित भूमि में प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार वादी को कोई भी प्राइमा फेसाई केस नहीं है तथा विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का दखल कब्जा में चला आ रहा है इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादी गण के पक्ष में है और अंततः वादी के उक्त आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में ही सुना जा चुका है तथा अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विवादित भूमि के निमित्त बटवारा हेतु लाया गया है जिसमें वादी का कहना है कि प्रस्तुत वाद की विवादित भूमि दिनांक 05.07.1973 को संयुक्त हिंदू परिवार के संयुक्त व्यवसाय से अर्जित संपत्ति से क्रय किया गया था एवं जिस पर वादी एवं प्रतिवादी दोनों दखलकार हुए जबकि प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद की विवादित भूमि उनके पूर्वज की भूमि है और इसमें वादी का कोई भी हक हिस्सा नहीं है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित होकर के अपना कारण पृच्छा सह जवाब एवं लिखित कथन दाखिल कर चुके हैं तथा अभिलेख में अभी विवाद्यक का गठन नहीं हुआ है तथा अभिलेख अभी वर्तमान में सुनवाई के प्रारंभिक चरण पर है जिसमें किसी भी पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अभिलेख के इस चरण पर इस तथ्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि प्रस्तुत वाद की विवादित भूमि संयुक्त हिंदू परिवार के संयुक्त धन से अर्जित है या प्रतिवादी गण के पूर्वज की स्व अर्जित भूमि है। इस प्रकार वाद प्रथम दृष्टया किस के पक्ष में है या सुविधा का	
लगातार...		

न्यायालय, पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय,

प्रभारी अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर,भोजपुर

हकियत वाद सं. 18/2021

27.07 .2022	संतुलन किसके पक्ष में है बिना साक्ष्य प्राप्त किए उपधारित नहीं किया जा सकता है तथा वादी के द्वारा उसे होने वाली अपूर्ण क्षति के संदर्भ में भी वर्णन नहीं किया गया है तदनुसार उक्त आवेदन को खारिज किया जाता है। वाद दिनांक 14.09.2022 .वास्ते सुलह वार्ता पर सुनवाई । ले0 प्रभारी अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर,भोजपुर	